राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

फोन नं. 0141–2708824, 2711070
फैक्स नं. 0141–2701367, वेब साईटः www.uniraj.ac.in

समस्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग/पी.जी. स्कूल्स,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

<u>अत्यावश्यक</u>

क्रमांकः उ.कु. (गोप.)/2021/ दिनांकः

विषयः स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी) अंतिम वर्ष/सेमेस्टर–प्रथम की प्रायोगिक/आंतरिक विषयों की परीक्षा–2021 के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी) अंतिम वर्ष/सेमेस्टर–प्रथम की प्रायोगिक/आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी सुनिश्चित करें:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाईल/असाईनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जावे जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिशः उपस्थित आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, Viva-voce & Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग द्वारा करवाया जावे। जिन पाठ्यक्रमों में आन्तरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाईल/असाईनमेन्ट/ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जावे।
2. बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई फाईल/असाईनमेन्ट को महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाये तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर मांगा जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिये गये कुल पूर्णांकों में से ही परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किये जावें।
4. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा।
5. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उसे Decline किया जावेगा एवं इसकी सूचना ई–मेल आई.डी. drsecyuorj@gmail.com पर भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. परीक्षक के परीक्षा लेने से मना (Declined) करने पर उसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाये। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त सूचना के गलत पाये जाने पर व परीक्षक से बिना संपर्क किये ही मना (Declined) करने पर महाविद्यालय के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।
7. प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावें। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना–पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण का विवरण देते हुये विश्वविद्यालय में संपर्क करने हेतु सूचित किया जावे।
9. महाविद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्व छात्रों के अंकों को मैनुअल/ऑफलाइन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जाते हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।
10. प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किये गये हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्ड्स परीक्षक पैनल पर सम्बन्धित कक्षा के उपलब्ध लिंक (Additional/New/TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जावेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।

कृ.प.उ.

11. परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड भरे जाने पर पोर्टल से ही पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जावेगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर सत्यापित किये जाने पर परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जावेगा। पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर के परीक्षक को दिया जावेगा, जिन्हे परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से सम्बन्धित आई.डी. प्रूफ, आधार कार्ड एवं PAN कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
12. महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करे कि किसी भी बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित ना किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूली जावेगी। साथ ही उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
13. प्रायोगिक परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं के सभी पैकेट पीले रंग के कपडे में पैक कर परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह की अवधि में आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करावें तथा पैकेट पर निम्न जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावें।

    महाविद्यालय का कोड व नाम – ....
    परीक्षा कोड एवं नाम – ....
    विषय कोड व प्रायोगिक परीक्षा का नाम – ....
    महाविद्यालय का नाम, पता व मोबाईल नम्बर – ....

14. परीक्षार्थियों की कुल संख्या 20 से कम होने पर एवं महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय संचालित नहीं होने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
15. प्रायोगिक परीक्षा व अवार्ड भरने के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हैल्पलाईन नम्बर 77269 53531 अथवा 1800 180 6433 पर सम्पर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में अविलम्ब विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ईमेल आई.डी. drsecyuorj@gmail.com व दूरभाष नम्बर 0141–2708824 (परीक्षा नियंत्रक) व 0141–2705883/2256651 (उप कुलसचिव गोपनीय) पर सूचित करें एवं प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जावे।
16. महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक का ऑफलाइन बिल सत्यापित ना करें। इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाइन जनरेट बिलों में भी किसी प्रकार से हस्तलिखित तौर (Manually) पर परीक्षार्थियों की संख्या/अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ–साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।
17. प्रायोगिक परीक्षायें व प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन पोर्टल/हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्पन्न/दर्ज नहीं करवाये जाने पर राशि 50,000/- रू. + 20,000/- रू. प्रति छात्र आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।
18. कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केन्द्र, राज्य सरकार (गृहविभाग) द्वारा समय–समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा–निर्देशों की पालना यथा मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुये परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

भवदीय,

(डॉ. राकेश राव)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः उ.कु. (गोप.)/2021/1527–36 दिनांकः 22/07/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. समस्त अधिष्ठाता, रा.वि.वि., जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर।
3. जन संपर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा संचालन), रा.वि.वि., जयपुर।
6. सहायक कुलसचिव (तलघर–प्रथम/द्वितीय), रा.वि.वि., जयपुर।
7. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

22.7.2021

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप–कुलसचिव
(परीक्षा गोपनीय)